भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3811

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

महिलाओं के वित्तीय समावेशन हेतु योजनाएं

3811. डॉ. संबित पात्रा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई योजनाओं का कोई अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान खुदरा ऋण और व्यवसाय चाहने वाली महिलाओं की संख्या तीन गुनी हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महिला उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए मौजूदा योजनाओं में सुधार करने का इरादा रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने महिला उधारकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि ऋण तक उनकी पहुंच सुचारू हो सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): देश में पिछले पांच वर्षों में विशेष रूप से महिलाओं के वित्तीय समावेशन को लक्षित करने वाली योजनाओं पर ऐसा कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया है।

सरकार सभी ऋण संबद्ध योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करती है और महिला उद्यमियों सहित उद्यमियों को ऋण तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कई पहल करती है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. केंद्रीय बजट 2025-26 के पैरा 32 के अनुसार "पहली बार उद्यमी बनने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान ₹2.00 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सफल स्टैंड अप इंडिया योजना के उदाहरण इस योजना में शामिल किए जाएंगे। उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण का भी आयोजन किया जाएगा।"

ii. उद्यमियों को 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या उसका विस्तार करने में सक्षम बनाने हेतु ₹20 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिए गए ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण		
(खातों की संख्या लाख में तथा राशि करोड़ रुपये में)		
वित्तीय वर्ष	**खातों की संख्या**	**बकाया राशि**
मार्च-20	207.60	488,459.43
मार्च-21	289.46	731,617.22
मार्च-22	305.56	836,200.08
मार्च-23	350.90	1,008,935.62
मार्च-24	387.24	1,169,279.00

(घ): सरकार ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा महिलाओं सहित संभावित लाभार्थियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गहन प्रचार अभियान, आवेदन प्रपत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मार्जिन मनी में कमी करके स्टैंड-अप इंडिया योजना में सहायता प्रदान करना तथा कृषि से संबद्ध गतिविधियों को सम्मिलित करना शामिल है।

सरकारी प्रायोजित पंद्रह ऋण और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए जन समर्थ पोर्टल वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह ऋण के लिए आवेदन करने और आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण आवेदनों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत-दौरों की आवश्यकता कम हो गई है।

******